FORM No. III

Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्ट्रर. मुकाम....खींवसर...

मगाराम बनाम चुनाराम

किस्म मुकदमा...राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर टी एक्ट

मु. नं...134 .सन्..2016.

म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
	09.11.2016	
	वादी ने जरीये वकील प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत किया । जो दर्ज रजिस्टर हो तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस से वास्ते जबाबदेही बाबत् तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 07.12.2016 को पेश हो। सहायक कलक्ट्रर खींवसर	
7/12/16	वादी व प्रतिवादी ... उपस्थित/विपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। प्रकरण को लोक अदालत में रेफर करने हेतु दोनों पक्ष सहमत है। अतः प्रकरण लोक अदालत में रेफर किया जाता है। पक्षकारान दिनांक 27/2/17 को लोक अदालत के समक्ष उपस्थित हो।	
	27-2-17 पत्रावली पेश। वकील वादी उप. वकील वादी प्रतिवादीगण के नोटिस तलबाना नियमित पेश करे, [illegible] मामला पर चर्चा हेतु [illegible]। [illegible] तलबी हेतु दिनांक 8-5-17 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO), खींवसर	
-5-17	वादी व प्रतिवादी काले उपस्थित/विपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। प्रकरण को लोक अदालत में रेफर करने हेतु दोनों पक्ष सहमत है। अतः प्रकरण लोक अदालत में रेफर किया जाता है। पक्षकारान दिनांक 18-5-17 को लोक अदालत के समक्ष उपस्थित हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
24/5/22	पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/ स्थानान्तरण हो चुका है/ भ्रमण/में है/ अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली आगामी दिनांक 23/8/22 को पेश हो।
23/8/22	पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/ स्थानान्तरण हो चुका है/ भ्रमण/में है/ अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली आगामी दिनांक 18/10/22 को पेश हो।
23.8.22 मुसाराम	पत्रावली पेश की। वकील वादी मय वादी उपस्थित। वादी आवेदन पेश कर निवेदन किया कि इस प्रकरण के मध्य राजीनामा हो चुका है इसलिये मैं इस वाद को आगे नहीं चलाना चाहता हूं तथा मेरे विरुद्ध खारिज करवाना चाहता हूं। अतः वकील वादी एवं वादी के निवेदन पर उक्त आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद मेरे विरुद्ध खारिज किया जाता है। पत्रावली पेश मसल शुमार दाखिल कर बाद मियाद दाखिल रिकार्ड हो।
	सहायक कलक्टर (SDO), खींवसर

2

23/8/22

सेवा में

श्रीमान साहब कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
महोदय - पचपदरा [?]

वादी	बनाम	प्रतिवादी
मगाराम		चुनाराम

वाद अन्तर्गत धारा 53 R.188 LR Act

श्रीमानजी

उपरोक्त मामला में वादी कि अर्ज है निम्न लिखित है

1 यह है कि उक्त वादी द्वारा न्यायालय श्रीमान में वाद पेश कर रखा है जो विचाराधीन चल रहा है उक्त मामला के हम पक्षकारान के मामले में राजीनामा हो गया इसलिए राजीनामा हो जाने से वादी उक्त वाद को चलाना नहीं चाहता है।

2 यह है कि उक्त मामला के राजीनामा हो जाने से वादी विड्रॉ खारिज करवाना चाहता है।

अतः आपकी सेवा में श्रीमान से निवेदन है कि उक्त मामला [?] वाद को वापिस विड्रॉ खारिज करने की कृपा करावें।

मगाराम
वादी